गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक :- 930 / प्रवर्तन जोन–1 / 2022 दिनांक 13-7-2022

परिशिष्ट–6 प्रपत्र 'ब' / भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट–6–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम नूरनगर में खसरा संख्या–1085, 1089, 1091 व 1091/1 ग्राम–नूरनगर, राजनगर एक्सटेन्शन गाजियाबाद पर मै0 यूनिनव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग ''यूनिनव ब्लिस'' का मानचित्र संख्या–MAP20190510103648843 दिनांक 03.08.2019 को स्वीकृत है। विकासकर्ता द्वारा ग्रुप हाउसिंग के ब्लॉक–ए1 से ए4, बी1 से बी11 व सी1 से सी6 के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अन्तर्गत ब्लॉक–ए1 से ए4, बी1 से बी11 व सी1 से सी6 कुल 210 यूनिट (B+G+4) का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तो/प्रतिबन्धों (क्रम संख्या–01 से 17) के अधीन इस शर्त पर जारी किया जाता है कि मै0 यूनिनव डवलपर्स प्रा0लि0 के किसी अन्य टावर का कम्पलीशन अथवा कम्पाउण्डिंग की कार्यवाही, भूमि के विनिमय/हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रस्तावित की जायेगी।

अपर सचिव/
प्रभारी प्रवर्तन जोन–1

शर्तें / प्रतिबन्ध :-

1. विकासकर्ता को स्वीकृत मानचित्र सं0-MAP20190510103648843 दिनांक 03.08.2019 एवं शमन मानचित्र की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. विद्युत भार की स्वीकृत सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 16.02.2022 का अनुपालन करना होगा।
3. स्थल पर सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लान्ट का संचालन सुनिश्चित कराना होगा।
4. अग्निशमन उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखना होगा एवं अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों का पालन करना होगा। प्रत्येक वर्ष अग्निशमन अनापत्ति का नवीनीकरण कराना होगा एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
5. संरचना सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की क्रियाशील / सुरक्षा का दायित्व स्वयं विकासकर्ता का होगा।
6. समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो प्रतिबन्धों तथा आवेदक / विकासकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों एवं वचनबद्धताओं का अनुपालन करना होगा। किसी भी शपथ पत्र / वचनबद्धता की किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में निर्गत सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क व प्रधिकरण कोष में जमा किये गये अन्य शुल्कों पर त्रुटिपूर्ण गणना होने की दशा में, देय शुल्क बिना किसी आपत्ति के प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन के गठन उपरान्त अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को सुविधाओं सहित हस्तान्तरण तक समस्त सुविधाओं आदि का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा ही किया जायेगा।
9. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता / ए.ओ.ए. की होगी।
10. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देश एवं MOEF की गाईड लाईनस एवं उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
11. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता / ए.ओ.ए. की होगी।
12. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता / ए.ओ.ए. की होगी।
13. ग्रीन एरिया की रख-रखाव की समस्त जिम्मेंदारी विकासकर्ता / ए.ओ.ए. की होगी।
14. विद्यमान निर्माण में यदि भविष्य में कोई विचलन हुआ पाया जाता है तो उसे शमन कराना होगा।
15. विकासकर्ता / ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेंट एक्ट-2010 नियमावली-2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
16. वाटर सप्लाई / सीवर तथा अन्य सभी प्रकार के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को हैण्ड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। पेयजल की व्यवस्था हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
17. विकलांगों हेतु रैम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

13.7.22

अवर अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1

सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1